भारत बीस रुपये INDIA TWENTY RUPEES COURT FEE
भारत दस रुपये INDIA TEN RUPEES COURT FEE

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 एक/निगरानी/छतरपुर/भू–रा0/2018/

I/निगरानी/छतरपुर/भू०रा०/2018/0334

दशरथ तनय जगत सिंह

निवासी– ग्राम पलौंठा, तहसील छतरपुर,

जिला छतरपुर, म0प्र0

.........आवेदक

श्री मती रजनी वशिष्ठ द्वारा आज दि० 11/01/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 7-2-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 11-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्व

संतोष सिंह तनय मोहन सिंह

निवासी– ग्राम पलौंठा, तहसील छतरपुर,

जिला छतरपुर, म0प्र0

11/01/18

...........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.02.2017 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार छतरपुर, तहसील छतरपुर के प्र0क0 43/अ–27/2015–16 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि, अनावेदक संतोष ने भूमि खसरा कमांक 366, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 394, 407, 410, 412, 489/1/1, 700, 714, 716, 734/1/1, 772, 774, 775, 776, 778, 779, 780, 781, 783, 784, 785/1, 795, 796, 797, 799, 800, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 810, 811, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 839, 841, 842, 843, 846, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 903, 904, 907, 911,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा.2018/0334 दशरथ विरूद्ध संतोषसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 43/अ-27/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28-02-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक ~~07-02~~ 11-01-~~2018~~ 2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

(3)

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । 01/2/19 (आर.के. जैन) सदस्य	